



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 699 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 14 / 09 / 2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '81वीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 22.09.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 08 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. सामान्य मद एवं परीक्षा मद से विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु राशि रु. 4,50,00,0000/- (चार करोड़ पचास लाख) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में रु. 3,00,00,000/- (तीन करोड़) एवं सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 में रु. 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।
4. भारतीय स्टेट में विभिन्न मदों में जमा राशि से 4,00,00,000/- (चार करोड़) 30 दिन के लिए एवं 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) एक वर्ष के लिए, कुल राशि रु. 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) का सावधि किया गया है की सूचना ग्रहण करना।
5. डॉ. गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, का अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 06,28,718.00 (रुपए छः लाख अठाईस हजार सात सौ अठारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3437 / स्था. / सा.प्रशा. / 2023 रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023 के द्वारा डॉ. गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 228 दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. डॉ. गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. 06,28,718.00 (रुपए छः लाख अठाईस हजार सात सौ अठारह मात्र) का भुगतान किया जाना है।

उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।

टीप : सत्र 2023-24 छात्रवृत्ति चयन समिति के लिए संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। संकायाध्यक्षों की सूची (संलग्न है) में से किन्ही तीन संकायाध्यक्षों को मनोनीत करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से राशि रु. 4.00 लाख (चार लाख) M Deposits & Debt Heads a. Student Aid Fund/Student Welf. मद में पुर्नविनियोजन करने माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

8. विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में चयनित छात्र/छात्राओं को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय सत्र 2023-24 के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 70,00,000/- (सत्तर लाख) A. General Administration 14 Scholarship award by university मद में पुनर्विनियोजन करने माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
9. गोपनीय मुद्रण हेतु प्रावधानित बजट वित्तीय सत्र 2023-24 के परीक्षा मद 3. Result Procession Charge में प्रावधानित राशि रु. 1100.00 लाख में से परीक्षा मद क्रमांक 2 (c) Question Paper Princing में राशि रु. 210.00 लाख पुनर्विनियोजित किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: वित्तीय सत्र 2023-24, परीक्षा मद क्रमांक 2 (c) Question Paper Princing में राशि रु. 50.00 लाख प्रावधानित किया गया है। गोपनीय मुद्रण कार्य विषयक वित्तीय सत्र 2023-24 में राशि रु. 257.00 लाख के व्यय हेतु माननीय कार्यपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त है। तदनुसार प्रावधानित बजट वित्तीय सत्र 2023-24 के परीक्षा मद 3. Result Procession Charge में प्रावधानित राशि रु. 1100.00 लाख में से परीक्षा मद क्रमांक 2 (c) Question Paper Princing में राशि रु. 210.00 लाख पुनर्विनियोजित किया जाना प्रस्तावित है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जुलाई-अगस्त, 2023 (26.07.2023 से 25.08.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,91,401/- (तेरह लाख इक्यानवे हजार चार सौ एक) किए गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भविष्य के लिए स्थाई अनुमति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।
11. श्री अंजनी कुमार टेंगवार, लैब अटेंडेंट को गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1312/Rec/Admin Bilaspur 27 July 2023 के द्वारा Laboratory Assistant के पद पर चयन होने के फलस्वरूप परिनियम-31 की कंडिका 11 के प्रावधानानुसार उनके मांग अनुरूप 02 वर्ष का धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
12. विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पदोन्नति/कमोन्नति प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17-08-2023 में की गई निम्नानुसार अनुशंसा पर विचार करना।

- टीप : 1. विश्वविद्यालय में कार्यरत 08 डाटा एन्ट्री आपरेटर्स को छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 (वित्त निर्देश 11/2008) में निहित प्रावधानानुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने की अनुशंसा।
2. द्वितीय श्रेणी लिपिक के एक रिक्त पद पर 2022 की अंतिम वरिष्ठता सूची अनुसार श्री भूपेन्द्र सिन्हा, नि.व.लि. को आदेश की तिथि से द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा।
3. श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवाएं विश्वविद्यालय को वापस किए जाने के संबंध में अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा।



4. श्री हेमन्त कुमार के स्टेनोग्राफर के पद पर दिनांक 05.09.2013 को दी गई पदोन्नति पर संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु विनियम 91 में स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता अनुसार उल्लेखित समस्त दस्तावेजों सहित आवेदक को (पत्र जारी होने के) 15 दिवस के भीतर पदोन्नति/कमोन्नति हेतु गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के संबंध में अनुशंसा।

पदोन्नति/कमोन्नति हेतु गठित समिति द्वारा की गई उपर्युक्त अनुशंसा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 300 नग ब्लेजर अनुबंधित फर्म M/s Shams Sports & Stationers, Sadar Bazar, Raipur (C.G.) के द्वारा आपूर्ति पश्चात् क्रय देयक राशि रु. 6,13,550/- (रुपए छः लाख तेरह हजार पाँच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय सामान्य बजट A.Gen.Admn. 35/All Compu. Wi-fi Facility में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 5.00 लाख E. Director Phy. Edu. 3(ii) Creat Blazer and Tracsuit) में पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल के शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए ब्लेजर क्रय हेतु निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म M/s Shams Sports & Stationers, Sadar Bazar, Raipur (C.G.) को 300 नग ब्लेजर आपूर्ति करने हेतु पत्र क्र. 567/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 17.11.2022 एवं पत्र क्र. 607/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 01.08.2023 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म के द्वारा 300 नग ब्लेजर आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. SSS/23-24/18 दिनांक 05-08-2023 के द्वारा रु. 6,13,550/- (रुपए छः लाख तेरह हजार पाँच सौ पचास मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :-

1. संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए रु. 6,13,550/- (रुपए छः लाख तेरह हजार पाँच सौ पचास मात्र) की स्वीकृति हेतु।
2. विश्वविद्यालय सामान्य बजट A.Gen.Admn. 35/All Compu. Wi-fi Facility में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 5.00 लाख E. Director Phy. Edu. 3(ii) Creat Blazer and Tracsuit) में पुनर्विनियोजित करने के लिए स्वीकृति हेतु।

14. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह कारपेट एवं अन्य सामग्री क्रय देयक के 25 प्रतिशत शेष राशि रु. 07,61,100/- (रुपए सात लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह के लिये कारपेट एवं अन्य सामग्री क्रय निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म M/s Creative Design, 301&302 3rd Floor National Corporate Park, OPP- Maruti Business Park, Raipur (C.G.) को पत्र क्रमांक 126/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 10-02-23 द्वारा आदेशित किया था।

उक्त फर्म के द्वारा सामग्री प्रेक्षागृह में कारपेट एवं अन्य सामग्री आपूर्ति कर इंस्टालेशन करने के पश्चात् देयक क्रमांक PI-CG2223-655 दिनांक 21/02/2023 के द्वारा रु. 30,44,400/- (रुपए तीस लाख चौवालिस हजार चार सौ मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित फर्म को कुल देयक का 75 प्रतिशत राशि रु. 22,83,300/- (रुपए बाइस लाख तिरासी हजार तीन सौ मात्र) भुगतान किया गया है संबंधित फर्म द्वारा प्रेक्षागृह में कारपेट एवं अन्य सामग्री आपूर्ति कर इंस्टालेशन किया जा चुका है। अतः 25 प्रतिशत राशि रु. 07,61,100/- (रुपए सात लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए अनुबंध की सूचना ग्रहण करना एवं Joint Certificate Course संचालित किए जाने की अनुमति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

टीप : छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1(च) के अंतर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम 2023 में निहित प्रावधानों के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य दिनांक 28 अगस्त 2023 को National Skills Qualifications Framework (NSQF) आधारित कोर्स (1. Operator-Conventional Turning, 2. Solar PV Installer, 3. Field Technician Networking and Storage. 4 Junior Software Developer) में कौशल प्रशिक्षण हेतु किए गए अनुबंध में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत (Training Provider Institute (TPI) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं Joint Certificate Course संचालित किए जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

16. विश्वविद्यालय एवं अन्य निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के मध्य वर्ष 2023 में किए गए MoU की सूचना ग्रहण करना।

S. No.	Party	Pt.RSU Department	Purpose	MoU Sign Date
1	Indian Society for VLSI Education (ISVE), Ranchi, Jharkhand, India	Electronics	To establish a program to be established and formalized at a later date for the benefit of students of educational institutions.	14.07.2023
2	Ayodhya Research Institute Department of Culture, Government of Uttarpradesh, Lucknow	Ancient Indian History	For Research in Ramayan.	14.07.2023
3	Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar	Anthropology	For promotion of students training and quality graduate and postgraduate research in cutting edge areas.	21.07.2023
4	Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur	-	Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes.	27.07.2023
5	Guru Ghasidas Kendriya Vishwavidyalaya, Bilaspur		Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes	05.08.2023
6	Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)	-	To establish a program of Academic Cooperation and Educational exchange.	10.08.2023
7	Chhattisgarh Rajya Kaushal Vikas Pradhikaran (CSSDA)		Training regarding	28.08.2023
8	The Inter-University Accelerator Center, New Delhi			04.09.2023
9	Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur		To establish a program of Academic Cooperation and Educational exchange.	05.09.2023

बायोटेक्नालाजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं को उनके लघु शोध परियोजनाओं एवं लघुशोध प्रबंध पूरा करने की सुविधा मुहैया कराने एवं शोध निर्देशन के एवज में इस अध्ययनशाला ने शुल्क के रूप में अभी तक कुल 15,18,000/- (पन्द्रह लाख अठारह हजार) एकत्र किए हैं, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 में लिए गए निर्णय अनुसार यह शुल्क (अ) अध्ययनशाला (ब) परियोजना निर्देशक (स) विश्वविद्यालय एवं (द) अध्ययनशाला के कर्मचारियों के बीच क्रमशः 30% , 30%, 30% एवं 10% की दर से वितरित होती है, परन्तु अध्ययनशाला में उपलब्ध शोध सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययनशाला में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने एकमत निर्णय लिया है कि इस एकत्रित शुल्क से अपना हिस्सा नहीं लेंगे तथापि इसका उपयोग शोध उपकरणों की खरीदी के लिए किया जावे। इसी तारतम्य में माननीय कार्यपरिषद् से अनुरोध है कि इस शुल्क में विश्वविद्यालय के हिस्से की जो 30% राशि है उसे इस अध्ययनशाला को अपने शोध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु खर्च करने की अनुमति प्रदान करना चाहें ताकि छात्र/छात्राएं लघु शोध परियोजनाओं एवं लघुशोध प्रबंध को पूर्ण करने के लिए आकर्षित होंगे।

तदनुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09-06-2023 के कार्यवृत्त का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04-07-2023 विषय क्रमांक 12 में अनुमोदन पश्चात ग्रंथालय बजट 2023-24 में राशि रु. 52.10 लाख पुनर्विनियोजन करने के संबंध में विचार करना।

टीप : A. General Administration 22 Automation of Fin. Academic Admn. Office/Admin Block मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से राशि रु. 52.10 लाख D. University Library मद में पुनर्विनियोजित किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के 08 जीर्ण प्रसाधन का रिनोवेशन अनुबंधित फर्म मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स, रायपुर से पूर्ण कराया गया, कार्य की पूर्णता पश्चात भुगतान योग्य राशि रु. 08,38,044/- (आठ लाख अड़तीस हजार चवालीस) बजट शीर्ष Engineering Unit के सरल क्रमांक 3(d) में प्रावधानित राशि 100.00 से किए जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-


20. मूल विज्ञान केन्द्र में अष्टम सेमेस्टर के 20 छात्र छात्राओं को माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रु. 5,55,524/- (पांच लाख पचपन हजार पांच सौ चौबीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।
21. मूल विज्ञान केन्द्र में दशवें सेमेस्टर के 26 छात्र छात्राओं को माह दिसंबर, 2022 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रु. 8,32,633/- (आठ लाख बत्तीस हजार छः सौ तैतीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।



वाहन प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयक राशि रू. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौब्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : वाहन प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयकों माह मई, 2023, जून, 2023, जुलाई, 2023 तथा अगस्त के प्रथम पखवाड़े की कुल राशि रू. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौब्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।
23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 700 / अका. / का.प / 2023
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 14/09/2023

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 310 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 04/08/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'उन्नासवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 04.08.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | - सदस्य | 7. डॉ. जे.एन. केशरवानी | - सदस्य |
| 2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | - सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | - सदस्य |
| 3. डॉ. राजीव चौधरी | - सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | - सदस्य |
| 4. डॉ. रोहिणी प्रसाद | - सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | - सदस्य |
| 5. डॉ. ए.के. गुप्ता | - सदस्य | 11. श्री उमरुधर पुजारी | - सदस्य |
| 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | - सदस्य | 12. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | - सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सांख्यिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 05,24,625.00 (रुपए पाँच लाख चौबीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
4. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण उपरांत वेतन अंतर एरियर्स की कुल राशि रु. 24,65,227/- (रुपए चौबीस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

2

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म M/s. Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के कार्यकाल में 01 वर्ष वृद्धि (दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक) एवं 10 प्रतिशत भुगतान में वृद्धि करते हुए प्रथम तिमाही (दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक) की राशि रु. 2,92,050.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, आदेश क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2023 से सातवाँ वेतनमान में 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 201 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।


निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, पत्र क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	5%	38%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	11%	212%

3. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, आदेश क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.08.2023 से सातवाँ वेतनमान में 38 प्रतिशत से बढ़ा कर 42 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, पत्र क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	4%	42%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	9%	221%



3

4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों (सातवाँ वेतनमान) के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता महंगाई भत्ता 25% होने पर 9% की दर से तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर 10% की दर से शासन द्वारा जारी आदेश (2 अगस्त 2023) की तिथि से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्तचारियों को छठवे वेतनमान के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गणना कर अंतर की राशि आयकर सहित रु. 7,24,065/- (रुपए सात लाख चौबीस हजार पैंसठ मात्र) के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के तहत प्राप्त प्रथम किश्त में से परियोजना संचालक को रु. 62,99,924/- (रुपए बासठ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र) की अग्रिम राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 महाविद्यालयों के पूरक परीक्षा 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 11,65,000/- (रुपए ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार संबंधित माह का नियमित भुगतान की सूचना ग्रहण की गई -


- i. मई-2023 कुल राशि रु. 3,76,91,556 दिनांक 31.05.2023 देयक क्र. 691-696
- ii. जून-2023 कुल राशि रु. 3,79,44,470 दिनांक 30.06.2023 देयक क्र. 964-969
- iii. जुलाई-2023 कुल राशि रु. 3,99,29,066 दिनांक 31.07.2023 देयक क्र. 1248-1253

9. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत् 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जून-जुलाई 2023 (दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,56,751.00 (रुपए तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. इंडियन बैंक के खाता क्रमांक 20246316970 में 2,40,000,00.00 (रुपए दो करोड़ चालीस लाख मात्र) का सावधि जमा 400 दिन के लिए किया गया है की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।



(4)

11. दिनांक 31.07.2023 को कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों का वेतन जुलाई 2023 का वेतन भुगतान हेतु 5,50,000,00.00 (रुपए पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर राशि सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 राशि स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय के 16 उद्यानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रु. 56.81 लाख (रुपए छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र) एवं इस हेतु निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

13. विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 5-2/2023/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.06.2023 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु प्रतिस्थापना मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 32,98,910=00 (रुपए बत्तीस लाख अठानबे हजार नौ सौ दस मात्र) का संज्ञान ग्रहण करते हुए परिषद् द्वारा जीएसटी, सेस एवं अनुमानित इंश्योरेंस चार्ज, एसेसरीज चार्ज एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए अतिरिक्त राशि रु. 13,87,660.00 (रुपए तेरह लाख सत्यासी हजार छः सौ साठ मात्र) के स्वीकृति एवं प्रस्तावित वाहन Government E-Marketing (GeM) से क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023, CBS प्रवेश परीक्षा 2023) के गोपनीय मुद्रण हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपए 2,56,06,545=00 (रुपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 31.07.2023 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान के अनुरूप करने का अनुमोदन किया गया।

मानवविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. "The Study for the Holistic Development of Special Tribal Group Pahadi Korwa in Jashpur District" विषय पर प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 38.60 लाख (रुपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) में से रु. 19.30 लाख (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, जिसमें से दिनांक 31.07.2023 को अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला को अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) के हस्तांतरित हो चुकी है। शेष राशि रु. 13.30 लाख की अग्रिम राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।



मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. एम.एस-सी. पाठ्यक्रम के पेमेंट सीट में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बी.एस-सी.-सह-एम.एस-सी.) में पेमेंट सीटों पर प्रवेश प्रथमतः छ.ग. शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जाए, तदोपरांत सीटें रिक्त होने की स्थिति में इनको सामान्य वर्ग अथवा उपलब्ध वर्ग के छात्रों से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के संविदा में नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को संविदा अंतर्गत पुनर्नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
19. विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के अनुसार विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान और छ.ग. शासन शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान में भिन्नता के कारण विसंगति दृष्टव्य है, जिससे कर्मचारियों का कैरियर ब्लॉक हो रहा है।

निम्न कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगतियां हैं :-

नाम	वेतनमान	विसंगतियों का विवरण एवं टिप्पणी
श्री चंद्रप्रकाश राठौर टेक्नीशियन ग्रेड 3	4000-6000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+2400	वि.वि. सेटअप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 2 का वेतनमान एवं योग्यता मापदण्ड समान है, जिसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
श्रीमति ममता बंधोर ए.एन.एम	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2200 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
श्री मनोज कुमार निर्मलकर ड्रेसर, हेल्थ सेंटर	4750-7440+1300 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+1800 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
कमलेश चंद्राकर, इलेक्ट्रीशियन	5200-20200 +1900 पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।

कार्यपरिषद् का निर्णय है कि वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन हेतु पत्र प्रेषित करते हुए सेट-अप सुधार के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

20. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: NAAC के Requirement के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सेट अप में स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्वीकृत किए जाने का औचित्य दर्शाते हुए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

21. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत करते हुए, विश्वविद्यालय में निम्नानुसार कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति प्रदान की गई-

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	51780
2	रिसर्च असिस्टेंट	8	32675
3	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	26490
4	लैब टेक्नीशियन	6	23350
5	निम्न वर्ग लिपिक	4	18000

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 19.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सत्र 2023-24 के लिए एम.एस-सी बायोटेक्नोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 15 अतिरिक्त पेमेंट सीटों पर प्रवेश की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। तदक्रम में अन्य अध्ययनशालाओं/विषयों के अंतर्गत अतिरिक्त पेमेंट सीटों के विषय में कार्यपरिषद से अनुमति की प्रत्याशा में सीट वृद्धि करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

24. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य एवं लघुशोध प्रबंध निष्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शुल्क रुपये 5000.00 मात्र प्रति माह को बढ़ाकर रुपये 7000.00 मात्र प्रति माह करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. बी.ए-एल.एल.बी. में 60 सीटों की वृद्धि के विषय में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी.ए-एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में पूर्व से उपलब्ध 60 सीटों के साथ 60 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। तदक्रम में बी.सी.आई. (Bar Council of India) से आवश्यक पत्राचार करते हुए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

2. कार्यपरिषद् द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय में बी.काम., बी.ए. ऑनर्स विषय प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने पूरक विषय सूची क्रमांक 1 विद्या परिषद् की स्थायी समिति के कार्यवृत्त दिनांक 03.08.2023 के निर्णय क्रमांक 9 में नए पाठ्यक्रम व अध्ययनशाला के साथ बी.काम., बी.ए. ऑनर्स (अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, अंग्रेजी, मनोविज्ञान) प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया। तदक्रम में कार्यपरिषद् से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-


- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
- (vii) M.A. Women Studies
- (viii) B.Com.
- (ix) B.A. honours (Economics, Public Administration, English, Psychology)


साथ ही क्रमांक i एवं ii पर अंकित विषयों के साथ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

3. नैक पीयर टीम से प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के चतुर्थ चक्र के नैक मूल्यांकन के संदर्भ में दिनांक 20 से 22 जुलाई, 2023 तक परिसर का निरीक्षण करने वाली छः सदस्यीय नैक पीयर टीम से बंद लिफाफे में प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष खोला गया। रिपोर्ट तथा प्राप्त नवीनतम ग्रेड B++ से सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त नवीनतम ग्रेड 2 अगस्त, 2023 से अगले 5 वर्षों तक प्रभावशील रहेगा। कुलपति द्वारा दिए गए सुझाव एवं चर्चा के उपरांत सदस्यों द्वारा एक वर्ष पश्चात् तथा 3 वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय को NAAC Re-Assessment के लिए आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 311 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 04/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : **ALS** /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 16/08/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '80वाँ' बैठक (आपात) बुधवार, दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष


- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 6. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर | – सदस्य | 7. डॉ. जे.एन. केशरवानी | – सदस्य |
| 3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | – सदस्य | 8. डॉ. मनोज कुमार मिश्र | – सदस्य |
| 4. डॉ. राजीव चौधरी | – सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 5. डॉ. ए.के. गुप्ता | – सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |


डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 905/685/2005/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता देने के लिए प्रचलित अध्यादेशों में संशोधन के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विगत 02 वर्षों के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन-अध्यापन हेतु उचित अवसरों की कमी को देखते हुए छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 905/685/2005/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता देने के लिए प्रचलित अध्यादेशों में पूरक के संबंध में पूर्व निर्धारित मानक को शिथिल करते हुए सत्र 2022-23 के लिए 02 विषयों में पूरक का अवसर प्रदान करने अध्यादेश क्रमांक-6, 12 एवं 110 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2020 में अनुशंसित नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : **A16** /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 16/08/2023

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'उन्नासवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 04.08.2023 का पालन प्रतिवेदन

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सांख्यिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 05,24,625.00 (रुपए पाँच लाख चौबीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: देयक क्रमांक 1431 दिनांक 21-08-2023 द्वारा भुगतान किया गया।

4. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण उपरांत वेतन अंतर एरियर्स की कुल राशि रु. 24,65,227/- (रुपए चौबीस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: देयक क्रमांक 1406 दिनांक 21-08-2023 द्वारा भुगतान किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म M/s. Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के कार्यकाल में 01 वर्ष वृद्धि (दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक) एवं 10 प्रतिशत भुगतान में वृद्धि करते हुए प्रथम तिमाही (दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक) की राशि रु. 2,92,050.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: देयक क्रमांक 1188 दिनांक 18-07-2023 द्वारा भुगतान किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, आदेश क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2023 से सातवाँ वेतनमान में 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 201 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, पत्र क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	5%	38%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	11%	212%

पालन: अंगीकृत किया गया।

3. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, आदेश क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.08.2023 से सातवाँ वेतनमान में 38 प्रतिशत से बढ़ा कर 42 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, पत्र क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	4%	42%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	9%	221%

पालन: अंगीकृत किया गया।

4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों (सातवाँ वेतनमान) के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता महंगाई भत्ता 25% होने पर 9% की दर से तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर 10% की दर से शासन द्वारा जारी आदेश (2 अगस्त 2023) की तिथि से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: माह अगस्त, 2023 के वेतन में भुगतान किया गया।

5. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवे वेतनमान के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गणना कर अंतर की राशि आयकर सहित रु. 7,24,065/- (रुपए सात लाख चौबीस हजार पैंसठ मात्र) के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: देयक क्रमांक 1432 दिनांक 21-08-2023 द्वारा भुगतान किया गया।

6. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के तहत प्राप्त प्रथम किस्त में से परियोजना संचालक को रु. 62,99,924/- (रुपए बासठ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र) की अग्रिम राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: धनादेश क्रमांक 0001424 दिनांक 24-08-2023 द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 महाविद्यालयों के पूरक परीक्षा 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 11,65,000/- (रुपए ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: दो विषय में पूरक की पात्रता की अपेक्षा में भुगतान लंबित है।

8. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार संबंधित माह का नियमित भुगतान की सूचना ग्रहण की गई -

- i. मई-2023 कुल राशि रु. 3,76,91,556 दिनांक 31.05.2023 देयक क्र. 691-696
- ii. जून-2023 कुल राशि रु. 3,79,44,470 दिनांक 30.06.2023 देयक क्र. 964-969
- iii. जुलाई-2023 कुल राशि रु. 3,99,29,066 दिनांक 31.07.2023 देयक क्र. 1248-1253

9. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जून-जुलाई 2023 (दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,56,751.00 (रुपए तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: देयक क्रमांक 1291 दिनांक 03-08-2023 द्वारा भुगतान किया गया।

10. इंडियन बैंक के खाता क्रमांक 20246316970 में 2,40,000,00.00 (रुपए दो करोड़ चालीस लाख मात्र) का सावधि जमा 400 दिन के लिए किया गया है की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

11. दिनांक 31.07.2023 को कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों का वेतन जुलाई 2023 का वेतन भुगतान हेतु 5,50,000,00.00 (रुपए पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर राशि सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 राशि स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय के 16 उद्यानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रु. 56.81 लाख (रुपए छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र) एवं इस हेतु निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: क्रमांक 643/विकास/2023 दिनांक 25-08-2023 द्वारा निविदा सूचना प्रसारित किया गया।

13. विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 5-2/2023/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.06.2023 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु प्रतिस्थापना मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 32,98,910=00 (रुपए बत्तीस लाख अठानबे हजार नौ सौ दस मात्र) का संज्ञान ग्रहण करते हुए परिषद् द्वारा जीएसटी, सेस एवं अनुमानित इंश्योरेंस चार्ज, एसेसरीज चार्ज एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए अतिरिक्त राशि रु. 13,87,660.00 (रुपए तेरह लाख सत्यासी हजार छः सौ साठ मात्र) के स्वीकृति एवं प्रस्तावित वाहन Government E-Marketing (GeM) से क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: कय कार्य हेतु नस्ती प्रक्रिया में है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023, CBS प्रवेश परीक्षा 2023) के गोपनीय मुद्रण हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूप 2,56,06,545=00 (रुपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैंतालीस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 31.07.2023 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान के अनुरूप करने का अनुमोदन किया गया।

पालन: क्रमांक 579/अका./2023 दिनांक 04-09-2023 द्वारा आदेश प्रसारित किया गया।

मानवविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. "The Study for the Holistic Development of Special Tribal Group Pahadi Korwa in Jashpur District" विषय पर प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 38.60 लाख (रुपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) में से रु. 19.30 लाख (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, जिसमें से दिनांक 31.07.2023 को अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला को अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) के हस्तांतरित हो चुकी है। शेष राशि रु. 13.30 लाख की अग्रिम राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: भुगतान पूर्व स्वीकृति हेतु नस्ती प्रस्तुत है।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. एम.एस-सी. पाठ्यक्रम के पेमेंट सीट में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बी.एस-सी.-सह-एम.एस-सी.) में पेमेंट सीटों पर प्रवेश प्रथमतः छ.ग. शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जाए, तदोपरांत सीटें रिक्त होने की स्थिति में इनको सामान्य वर्ग अथवा उपलब्ध वर्ग के छात्रों से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: दिनांक 12-08'2023 को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के संविदा में नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को संविदा अंतर्गत पुनर्नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: नस्ती प्रक्रिया में है।

19. विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के अनुसार विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान और छ.ग. शासन शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान में भिन्नता के कारण विसंगति दृष्टव्य है, जिससे कर्मचारियों का कैरियर ब्लॉक हो रहा है।

निम्न कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगतियां हैं :-

नाम	वेतनमान	विसंगतियों का विवरण एवं टिप्पणी
श्री चंद्रप्रकाश राठौर टेक्नीशियन ग्रेड 3	4000-6000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+2400	वि.वि. सेटअप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 2 का वेतनमान एवं योग्यता मापदण्ड समान है, जिसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
श्रीमति ममता बंधोर ए.एन.एम	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2200 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
श्री मनोज कुमार निर्मलकर ड्रेसर, हेल्थ सेंटर	4750-7440+1300 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+1800 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
कमलेश चंद्राकर, इलेक्ट्रीशियन	5200-20200 +1900 पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।

कार्यपरिषद् का निर्णय है कि वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन हेतु पत्र प्रेषित करते हुए सेट-अप सुधार के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

पालन: क्रमांक 3825, 3827, 3829 दिनांक 01-09-2023 तथा क्रमांक 3947 दिनांक 11-09-2023 द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा वित्त मंत्रालय छ.ग. शासन को पत्र प्रेषित किया गया।

20. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: NAAC के Requirement के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सेट अप में स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्वीकृत किए जाने का औचित्य दर्शाते हुए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

पालन: नस्ती प्रक्रिया में है।

21. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत करते हुए, विश्वविद्यालय में निम्नानुसार कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति प्रदान की गई-

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	51780
2	रिसर्च असिस्टेंट	8	32675
3	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	26490
4	लैब टेक्नीशियन	6	23350
5	निम्न वर्ग लिपिक	4	18000

पालन: क्रमांक 3549/सा.प्रशा./स्था./2023 दिनांक 11-08-2023 द्वारा आदेश प्रसारित किया गया।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 19.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सत्र 2023-24 के लिए एम.एस-सी बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 15 अतिरिक्त पेमेंट सीटों पर प्रवेश की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। तदक्रम में अन्य अध्ययनशालाओं/विषयों के अंतर्गत अतिरिक्त पेमेंट सीटों के विषय में कार्यपरिषद् से अनुमति की प्रत्याशा में सीट वृद्धि करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

पालन: सीट वृद्धि पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई।

24. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य एवं लघुशोध प्रबंध निष्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शुल्क रुपये 5000.00 मात्र प्रति माह को बढ़ाकर रुपये 7000.00 मात्र प्रति माह करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पालन: निर्णयानुसार पालन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. बी.ए-एल.एल.बी. में 60 सीटों की वृद्धि के विषय में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी.ए-एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में पूर्व से उपलब्ध 60 सीटों के साथ 60 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। तदक्रम में बी.सी. आई. (Bar Council of India) से आवश्यक पत्राचार करते हुए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

पालन: क्रमांक 1994/कु.स./2023 दिनांक 08-08-2023 द्वारा सचिव, बार कौंसिल आफ इंडिया को पत्र प्रेषित किया गया।

2. कार्यपरिषद् द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय में बी.काम., बी.ए. ऑनर्स विषय प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने पूरक विषय सूची क्रमांक 1 विद्या परिषद् की स्थायी समिति के कार्यवृत्त दिनांक 03.08.2023 के निर्णय क्रमांक 9 में नए पाठ्यक्रम व अध्ययनशाला के साथ बी.काम., बी.ए. ऑनर्स (अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, अंग्रेजी, मनोविज्ञान) प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया। तदक्रम में कार्यपरिषद् से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-


- (i) M.A.- Political Science
 - (ii) M.A.- Public Administration
 - (iii) M.A.- Yoga
 - (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
 - (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
 - (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
 - (vii) M.A. Women Studies
 - (viii) B.Com.
 - (ix) B.A. honours (Economics, Public Administration, English, Psychology)
- साथ ही क्रमांक i एवं ii पर अंकित विषयों के साथ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।


पालन: पृथक-पृथक रूप से नस्तीयां प्रकिया में है।

3. नैक पीयर टीम से प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के चतुर्थ चक्र के नैक मूल्यांकन के संदर्भ में दिनांक 20 से 22 जुलाई, 2023 तक परिसर का निरीक्षण करने वाली छः सदस्यीय नैक पीयर टीम से बंद लिफाफे में प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष खोला गया। रिपोर्ट तथा प्राप्त नवीनतम ग्रेड B⁺⁺ से सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त नवीनतम ग्रेड 2 अगस्त, 2023 से अगले 5 वर्षों तक प्रभावशील रहेगा। कुलपति द्वारा दिए गए सुझाव एवं चर्चा के उपरांत सदस्यों द्वारा एक वर्ष पश्चात् तथा 3 वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय को NAAC Re-Assessment के लिए आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

पालन: क्रमांक 651/अका./2023 दिनांक 11-09-2023 द्वारा अधिसूचना प्रसारित किया गया।


उप-कुलसचिव (अका.)


कुलसचिव



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)


दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607


विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '80वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 16.08.2023 का पालन प्रतिवेदन

1. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 905/685/2005/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता देने के लिए प्रचलित अध्यादेशों में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विगत 02 वर्षों के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन-अध्यापन हेतु उचित अवसरों की कमी को देखते हुए छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 905/685/2005/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता देने के लिए प्रचलित अध्यादेशों में पूरक के संबंध में पूर्व निर्धारित मानक को शिथिल करते हुए सत्र 2022-23 के लिए 02 विषयों में पूरक का अवसर प्रदान करने अध्यादेश क्रमांक-6, 12 एवं 110 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2020 में अनुशंसित नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया।

पालन: क्रमांक 419/अका./2023 दिनांक 17-08-2023 द्वारा अध्यादेशों में संशोधन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।


उप-कुलसचिव (अका.)


कुलसचिव



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '81वीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 22.09.2023 को अपराह्न

3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 01 से 07 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को उनसे संबंधित अध्ययनशालाओं के रिक्त शैक्षणिक पदों पर दिनांक 01.10.2023 से अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्राध्यापक/निश्चित मानदेय पर नियुक्त (नियमित नियुक्ति तक) किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में कार्यपरिषद् दिनांक 04.08.2023 पूरक विषय क्रमांक 18 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्यापन कार्य हेतु सेवानिवृत्त अध्यापकों में से निम्न प्राध्यापकों के आवेदन/विभागाध्यक्ष का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1. डॉ. मिताश्री मित्रा (मानवविज्ञान)
2. डॉ. भगवंत सिंह (तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग)
3. डॉ. ए.के. गुप्ता (जैविकी)
4. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता (पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार)

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित है एवं प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 01.10.2023 से प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्राध्यापक/निश्चित मानदेय पर नियुक्त किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के भर्ती हेतु छ.ग. शासन से संशोधित स्वीकृति पत्र जारी होने की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, कि कार्यान्तर्गत स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन ने पत्र क्रमांक एफ 3-5/2021/38-2 नवा रायपुर, दिनांक 28.08.2023 द्वारा कुल 51 पदों (प्रोफे. 10, एसो. प्रोफे. 22, असि. प्रोफे. 19) भरने की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। उक्त स्वीकृति पत्र में विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) को भरे जाने की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पदों के भर्ती पूर्व रोष्टर एवं विज्ञापन के परीक्षण हेतु रोष्टर समिति एवं विज्ञापन समिति की संयुक्त बैठक में निम्नानुसार अपना अभिमत दिया :-

1. शासन से प्राप्त स्वीकृति आदेश में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव दिनांक 24.11.2022 की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है तथापि पदों के वितरण में टंकण त्रुटि हुई है।
2. टंकण त्रुटि के कारण कुछ विभागों में पदों की संख्या प्रस्तावित संख्या से अधिक तथा कुछ विभागों में पदों की संख्या प्रस्तावित पत्र तथा स्वीकृति संख्या से कम दर्ज हो गई है।

3. कुल पदों की संख्या प्रस्तावित पत्र तथा स्वीकृति आदेश में समान हैं जो कि प्रोफेसर 10, एसोसिएट प्रोफेसर 22, असिस्टेंट प्रोफेसर 19 कुल 51 शिक्षकीय पद हैं।
4. उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में समिति का अभिमत है कि :-
 - अ. त्रुटि सुधार हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।
 - ब. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा त्रुटि सुधार की प्रत्याशा में प्रस्तावित पद में विभागवार उल्लेखित पद अनुरूप विज्ञापन जारी किया जाना उचित होगा।
 - स. प्रस्तावित विज्ञापन का परीक्षण किया गया, जिसमें पुर्व विज्ञापित बैकलॉग पदों को यथावत रखा गया तथा अन्य पदों को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 04.07.2023 को अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रखा गया है।

तदनुसार अभिमत के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को विश्वविद्यालय के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति पत्र में संशोधन हेतु पत्र क्रमांक 3933/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 प्रेषित किया गया है एवं विज्ञापन क्रमांक 3916/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 06.09.2023 जारी किया गया।

अतः विश्वविद्यालय के प्रस्ताव अनुसार छ.ग. शासन से संशोधित स्वीकृति पत्र जारी होने की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि संबंधी वित्त निर्देश 26/2023, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 439/2020/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.08.2023 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

टीपः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से प्राप्त पत्र क्रमांक-439/2020/वि./नि./चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.08.2023 (वित्त निर्देश 26/2023) के परिपालन में दिनांक 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को क्रमशः 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को देय वेतनवृद्धि (काल्पनिक) आधार पर दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के प्रकरणों में भी लागू होंगे।

वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अ.शा. के निलंबन काल को कर्त्तव्य अवधि के संबंध में विचार करना।

टीपः विषयांतर्गत डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला का आवेदन दिनांक 10.05.2023 का अवलोकन करना चाहें।

आवेदन अनुसार डॉ. साहू द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की धारा 61 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबन अवधि (अवधि दिनांक 17.05.2018 से 26.10.2021) के निराकरण हेतु निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्संबंध में प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक अभिमत हेतु श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को विश्वविद्यालय से पत्र क्रमांक 3943/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 11.09.2023 के लिए प्रेषित किया गया था।



पत्र के परिप्रेक्ष्य में श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. का विधिक अभिमत दिनांक 16.09.2023 को विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। विधिक अभिमत सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। (विधिक अभिमत एवं परिनियम 31 संलग्न है) तत्संबंध में डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला के निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि के संबंध में निराकरण हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

6. राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय के संबंध में विचार करना।

टीप: अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने पत्र क्रमांक 52/शिक्षक संघ/2023 दिनांक 21.08.2023 प्रेषित कर शिक्षक एवं कर्मचारी संघ विषयान्तर्गत प्रकरण में विश्वविद्यालय के एनपीएस योजना में आने वाले शिक्षक/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति ओल्ड पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित करने माननीय कार्यपरिषद् से प्रस्ताव पारित कर शासन को सहमति के लिए भेजे जाने हेतु अनुरोध किए हैं।

पूर्व में इस संबंध में माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 की विषय सूची क्रमांक 12 में लिए गए निर्णयानुसार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाली हेतु शासन को मार्गदर्शन/स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का अनुमोदन हुआ है। तदनुसार इस विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 3955/सा.प्रशा./2022 दिनांक 18.10.2022 क्रमांक 2383/सा.प्रशा./2022 दिनांक 17.06.2022, क्रमांक 2886/सा.प्रशा./2022 दिनांक 25.07.2022 एवं पत्र क्रमांक 398/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 27.01.2023 के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित कर छ.ग. शासन के शासकीय कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने के संबंध में पुनर्विचार कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। शासन से स्वीकृति अद्यतन अप्राप्त है।

पुनःश्च अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के उक्त पत्र में की गयी मांग अनुसार राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय के संबंध में शासन से स्वीकृति हेतु पुनः शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

7. विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सातवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने पत्र क्रमांक 51/शिक्षक संघ/2023 दिनांक 21.08.2023 एवं पेंशनर एसोसिएट, रायपुर ने पत्र दिनांक 31.08.2023 प्रेषित कर विश्वविद्यालय के 01.01.2016 पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान को सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित पेंशन एवं पुनरीक्षित उपादान प्रदान करने की मांग करते हुए इस हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् से प्रस्ताव पारित कर शासन को शीघ्र भेजकर स्वीकृति जारी करवाने हेतु निवेदन किए हैं।

पूर्व में इस संबंध में माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2023 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 03 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्वविद्यालय परिनियम 32 के अनुसार अंतिम वेतन में प्राप्त छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सातवें वेतनमान) में पेंशन प्रदान

किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2225/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 15.05.2023 के द्वारा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को पत्र प्रेषित कर विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। शासन से आदेश अद्यतन अप्राप्त है।

पुनःश्च अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के उक्त पत्र में की गयी मांग अनुसार विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाने के संबंध में पुनः शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

8. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ. ग. —आवेदक डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त क्रीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के "उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान" प्रकरण क्रमांक 32/2023 के संबंध में विचार करना।

टीपः विषयांतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. का पत्र सूचना/समस क्रमांक 508/जि.वि.से.प्रा./पे.लो.अदा./2023 रायपुर, दिनांक 20.6.2023 प्रकरण क्रमांक 32/2023 दिनांक 01.07.2023 को प्राप्त हुआ है।

डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, तत्कालीन संचालक, शारीरिक शिक्षा पं. रवि.वि. वि. रायपुर के उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा, मंत्रालय का पत्र क्रं. एफ 1-70/2004/38 दिनांक 28.08.2004 के द्वारा डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, तत्कालीन संचालक, शारीरिक शिक्षा, की प्रतिनियुक्ति आदेश वि0वि0 से समाप्त कर दी गई थी तथा डॉ. मिश्रा विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3393/सा.प्रशा./2004 दिनांक 28.08.2004 को इस वि.वि. से कार्यमुक्त हो गए थे।
2. अतः उक्त अवधि तथा वेतन मांग अवधि में डॉ. मिश्रा की विश्वविद्यालय में उपस्थिति शून्य थी एवं विधिक रूप से वह विश्वविद्यालय में पदस्थ ही नहीं थे। बिना कर्त्तव्य अवधि के वेतन भुगतान का प्रश्न का निराकरण किया जाना है। इस संबंध में उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संबंधित के याचिका प्रकरण **WPS 3078 of 2004** को दिनांक 12.05.2011 को खारिज कर दिया गया है।
3. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर के द्वारा पत्र क्रमांक 2096/76/मु.मं.सं./2022/38-1 अटल नगर दिनांक 10.05.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, पूर्व संचालक शारीरिक शिक्षा के उपस्थिति दिवसों का लंबित वेतन भुगतान विश्वविद्यालय में ही रिक्त अन्य समकक्ष पद के विरुद्ध भुगतान करने की सहमति प्रदान किया गया है।
4. परंतु यहां उल्लेखनीय है कि छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 2434/76/मु.मं.सं./2022/38-1 अटल नगर दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि डॉ. मिश्रा को उनकी "उपस्थित दिवसों का वेतन" भुगतान 7 दिवस में कर अवगत कराने का निर्देश दिया गया था।
5. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय अटल नगर के द्वारा डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन संचालक, शारीरिक शिक्षा के लंबित वेतन भुगतान का पत्र क्रमांक 4367/76/मु.

- मं.सं./2022/38-1 अटल नगर दिनांक 07.10.2022, पत्र क्रमांक 4667/76/मु.मं.सं./2022/38-1 अटल नगर दिनांक 07.11.2022, स्मरण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ ।
6. तत्संबंध में विश्वविद्यालय से श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय बिलासपुर का विधिकअभिमत दिनांक 07.12.2020 एवं दिनांक 03.07.2022 संलग्न कर प्रतिवेदन पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा श्री मिश्रा के प्रकरण पर पत्र क्रमांक 4486 /स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 30.11.2022, 3303/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 05.08.2022, 1522 स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 13.04.2022, 3367/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 29.10.2022, पत्र क्रमांक 4848/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर दिनांक 28.12.2022, 4210/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 एवं 622/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 13.02.2023 के द्वारा अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डॉ. मिश्रा के उपस्थिति दिवस के लंबित वेतन भुगतान (दिनांक 28.08.2004 से दिनांक 06.07.2011 तक) हेतु तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, परंतु उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन अद्यतन प्राप्त नहीं हुआ है।
7. अतः उक्त अवधि तथा वेतन मांग अवधि में डॉ. मिश्रा की विश्वविद्यालय में उपस्थिति शुन्य थी एवं विधिक रूप से वह विश्वविद्यालय में पदस्थ ही नहीं थे । बिना कर्तव्य अवधि के उपस्थिति दिवसों के वेतन भुगतान का प्रश्न का निराकरण किया जाना है । ज्ञात हो कि उक्त अवधि में अन्य समकक्ष पद रिक्त नहीं था । (न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न)
8. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2007 के संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण बाबत आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, एवं विश्वविद्यालय द्वारा शपथपूर्वक यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.08.2004 के पश्चात डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय के समस्त अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 12.05.2011 में समाहित हो चुके हैं । डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा को विश्वविद्यालय से वेतनमान की पात्रता नहीं बनती है।
9. रविन्द्रनाथ मिश्रा, तत्कालीन संचालक, शारीरिक शिक्षा के लंबित वेतन भुगतान के संबंध में पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त अभिमत दिनांक 07.12.2020 एवं दिनांक 03.07.2022 संलग्न है। अभिमत का विवरण निम्नानुसार है :-
 "मेरे द्वारा प्रकरण में पूर्व में भी दिनांक 07.12.2020 को संपूर्ण नोटशीट एवं न्यायालयीन प्रकरण का अध्ययन करने के पश्चात यह अभिमत दिया गया था कि विधिक रूप से डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा की विश्वविद्यालय से वेतनमान पाने की पात्रता नहीं बनती है क्योंकि दिनांक 28.04.2004 को डॉ. रविन्द्र नाथ मिश्रा की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से कार्यमुक्त किया जा चुका था और विश्वविद्यालय के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ था । डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा मूलतः राज्य शासन के कर्मचारी है न कि विश्वविद्यालय के । अतः मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित विधिक अभिमत यथावत् है ।
 परंतु यहां उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 2434/76/मु.मं.सं./2022/38-1 अटल नगर दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि डॉ. मिश्रा को उनकी उपस्थित दिवसों का वेतन भुगतान 7 दिवस में कर अवगत कराने का निर्देश है ।
 राज्य शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में वि.वि. को डॉ. मिश्रा को उनकी उपस्थित दिवसों के वेतन भुगतान हेतु नीतिगत निर्णय लेना होगा, क्योंकि राज्य शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में वि.वि. पर वित्तीय भार उत्पन्न होगा ।
 चूंकि नीतिगत निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ही सक्षम प्राधिकारी है एवं भुगतान के पूर्व वि.वि. की कार्यपरिषद का अनुमोदन भी आवश्यक है ।"
10. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. का पत्र सूचना/समस क्रमांक 508/जि.वि.से.प्रा./पे.लो.अदा./2023 रायपुर, दिनांक 20.6.2023 के परिपेक्ष्य में श्री राजेश पाण्डेय, अधिवक्ता जिला सत्र न्यायालय रायपुर

को वि.वि. से पत्र क्रमांक 3505/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था। जिनके परिपेक्ष्य में अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय का प्राप्त जवाब पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 31.08.2023 संलग्न है। (अधिवक्ता का अभिमत संलग्न) तदनुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

9. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप: अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने पत्र क्रमांक 50/शिक्षक संघ/2023 दिनांक 21.08.2023 प्रेषित कर विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में माननीय कार्यपरिषद में प्रस्ताव पारित कर शासन से सहमति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विषयान्तर्गत एरियर्स का सीधे भुगतान अथवा अप्रतिदेय अग्रिम रूप में भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु निवेदन किए हैं।

पूर्व में इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 313/वित्त/ 2022 दिनांक 07.12.2022 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1064/वित्त/2023 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा विश्वविद्यालयीन कुल 121 शिक्षकों को सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स राशि रु 6,83,84,677/- (रूपये छः करोड़ तिरासी लाख चौरासी हजार छः सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान के संबंध में शासन से अनुमति प्रदाय हेतु पत्र प्रेषित की गयी है। शासन से अनुमति अद्यतन अप्राप्त है।

पुनःश्च अध्यक्ष, शिक्षक संघ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के उक्त पत्र में की गयी मांग अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में पुनः शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

10. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

टीप:

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 के बिंदु क्रं. 19 (4) के संबंध में श्री जी.के. देशमुख, प्रबंध संस्थान के द्वारा पिछले तीन चार माह से प्रबंध संस्थान में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इनकी अनुपस्थिति के संबंध में निर्णय लिया गया कि "इन्हें पंजीकृत डाक से इनके निवास के पते एवं प्रबंध संस्थान के पते पर कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए कि इनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति से छात्रों के अध्ययन में हो रही हानि छात्रहित में क्यों न इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए।

यदि श्री देशमुख अवधि बीतने के उपरांत उपस्थित नहीं होते, तो कठोरतम कार्यवाही की जाए।

तत्संबंध में विश्वविद्यालय से पत्र क्रमांक 382/सा.प्रशा./2008 रायपुर, दि. 06.02.2008 श्री जी.के. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर को जारी किया गया।

2. विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1304/सा.प्रशा./2008 रायपुर दिनांक 10.04.2008 के द्वारा श्री जी.के. देशमुख व्याख्यता की अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 निर्णयानुसार 15 दिवस के भीतर उपस्थित होने एवं अन्यथा कि स्थिति में सेवा समाप्ति की सूचना घर पर पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी। जो कि संबंधित के घर पर ताला बंद होने के कारण नहीं मिल पाई, इनकी अवकाश /अनुपस्थिति के संबंध

में आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रकरण रखा जाकर की गई कार्यवाही से सूचित किया जाएगा ।

3. डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर ने दिनांक 14.11.2007 से 17.11.2007 तक आकस्मिक अवकाश हेतु अध्यक्ष, प्रबंध संस्थान को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अध्यक्ष प्रबंध संस्थान ने आकस्मिक अवकाश की पात्रता न होने का उल्लेख कर अस्वीकृत किया गया था तथा डॉ. देशमुख द्वारा दिनांक 19.11.2007 से 13.12.2007 तक अर्जित अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अध्यक्ष प्रबंध संस्थान ने इस कार्यालय को प्रेषित किया था ।
4. डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निरंतर अवकाश वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करते रहे हैं ।
5. डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा लगातार तीन चार माह से अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 में लिये गये निर्णयानुसार अध्ययनशाला के पता एवं उनके निवास के पते पर पत्र भेजकर 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होने अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्ति संबंधी कठोर कार्यवाही किए जाने की सूचना दी गई थी ।
6. अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त विधिक अभिमत तत्कालीन कुलपति जी के पूर्व नोटशीट पृष्ठ 14 में हुए आदेशानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1767/सा.प्रशा./08 दिनांक 09.05.2008 के द्वारा डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर को मेडिकल बोर्ड से पत्र निर्गमन तिथि से 15 दिनों के अंदर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें तथा 15 दिनों के अंदर अपने कार्य पर उपस्थित हों । अन्यथा व्याख्याता के रूप में आपकी सेवा समाप्त / शून्य माना जावेगा, की सूचना दिया गया था ।
7. उपरोक्त पत्र के संदर्भ में डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर ने दिनांक 12.05.2008 को पत्र प्रस्तुत कर सूचित किए थे कि – उनके द्वारा दिनांक 08.05.2008 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तथा मेडिकल बोर्ड से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि में अतिशीघ्र जमा करने की जानकारी दी गई थी ।
8. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.07.2008 में डॉ. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया है कि – “जितनी अवधि वे संस्थान से अनुपस्थित रहे हैं उस अवधि को बिना वेतन अवकाश माना जाय । अनुपस्थिति के कारण इनकी सेवा में यह अवधि सेवा भंग काल (Period of break in service) माना जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दो वेतन वृद्धि रोकी जाय और इन्हें कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाय । ”
9. कार्यपरिषद की उपरोक्त निर्णयानुसार तथा पूर्व नोटशीट पृष्ठ 19, 20 में हुए आदेशानुसार—
 1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2892/सा.प्रशा./2008 दिनांक 03.11.2008 के द्वारा डॉ. जी.के. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर को दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 तक 187 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है ।
 2. उपरोक्त अवधि को सेवा भंग काल मान्य किया गया है ।
 3. दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोका गया है ।
10. श्री जी.के. देशमुख का विश्वविद्यालय को कार्य पर उपस्थिति आवेदन दिनांक 23.05.2008 जिसमें विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1767/सा.प्रशा./2008 दिनांक 09.5.2008, तथा अध्यक्ष जिला मेडिकल बोर्ड को जारी पत्र क्रमांक 1878/सा.प्रशा./2008 दिनांक 16.05.2008 एवं मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 12.05.2008 जिसमें दिनांक स्वयं के द्वारा आवेदन दिनांक 08.05.2008 से निरस्त करने एवं पूर्व के अवकाश को कम्प्यूटेड अवकाश/अर्जित अवकाश / या असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का निवेदन किया है ।
11. विश्वविद्यालय के द्वारा आदेश क्रमांक 2892/सा.प्रशा./2008 दिनांक 03.11.2008 के द्वारा डॉ. जी.के. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर को दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 तक 187 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है । श्री देशमुख के उपरोक्त दिवसों की

अनुपरिस्थिति के कारण इनकी सेवा में यह अवधि सेवा भंग काल मान्य किया जाता है तथा आगामी दो वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोकी जाती है ।

श्री देशमुख व्याख्याता के अवकाश प्रकरण का निराकरण हो जाने के कारण इनके रोके गए वेतन का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

12. डॉ. जी.के. देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक **WP(S) 2833 of 2018** दायर किया गया था जिसे संबंधित के आवेदन पर दिनांक 19 सितंबर 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा **(Disposed)** खारिज किया गया है जिसकी सूचना वि.वि. को दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से दिया गया है ।
13. पूर्व में राजभवन को इसके प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 734/स्था./सा.प्रशा./2017 रायपुर दिनांक 20.02.2017, 315/स्था./सा.प्रशा./2017 रायपुर दिनांक 20.01.2017, 3111//स्था./सा.प्रशा./2022 दिनांक 18.08.2022, पत्र क्रमांक 974/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 06.03.2023 प्रेषित किया गया है ।
14. वि.वि. की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.02.2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के प्रकरण में यह निर्णय लिया गया है कि "डॉ. जी.के. देशमुख के अपील आवेदन को राजभवन के पत्र क्रमांक 8989/7525/2016/रास/यू-1 दिनांक 20.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 842/7525/2016/रास/यू-1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा विधिक सलाहकार के अभिमत एवं परीक्षणोपरांत अधिरोपित दंड सेवाभंगकाल दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 एवं दो वेतनवृद्धि रोकने के दंड को अपास्त किए जाने योग्य माना है । तदनुसार प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया तथा डॉ. देशमुख के अवकाश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिए जाने का निर्णय लिया गया ।"
15. वि.वि. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.02.2023 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 918/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 01.03.2023 जारी किया गया । तत्संबंध में राजभवन को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 3177/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 28.08.2023 के द्वारा सूचित किया गया ।
16. तत्संबंध में उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे को डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के अवकाश संबंधी मामले पर विश्वविद्यालय से पत्र क्रमांक 2785 (ए)/सा.प्रशा./2023 दिनांक 16.06.2023 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 3262 (ए)/सा.प्रशा./2023 दिनांक 16.07.2023 प्रेषित किया गया ।
श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता द्वारा डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के मामले 16.06.2023 को प्राप्त हुआ, विधिक अभिमत संलग्न है ।

कृपया प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के सापेक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

11. **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने के संबंध में विचार करना ।**

टीपः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने हेतु इस कार्यालय के शपत्र क्र. 3995/सा.प्रशा./2022 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को पत्र प्रेषित करते हुए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का पदोन्नति चैनल बनाए जाने के संबंध में सहायक प्रोग्रामर/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 10 पद (वेतनमान 9300-34800/4200 लेवल 8) की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन से अद्यतन कोई जानकारी अप्राप्त है ।

पुनःश्च व्यय भार की जानकारी सहित सहायक प्रोग्रामर/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 10 पद (वेतनमान 9300-34800/4200 लेवल 8) स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

12. सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 03 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में विचार करना।

टीप : विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शास वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2023, वित्त निर्देश 33/2023 का कृपया अवलोकन करना चाहें।

पत्रानुसार वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 372/260/वि./नि./चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 तथा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 द्वारा सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उप पद के वेतनमान न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

निर्देशानुसार राज्य शासन विचारोपरांत सीधी भर्ती पर परिवीक्षावधि में स्टायपेण्ड के प्रावधान को समाप्त कर उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिये जाने का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं:-

1. सीधी भर्ती पर परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिये जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। दिनांक 28.07.2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।
2. विधिवत् विभागीय अनुमति प्राप्त कर, अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है, को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत् प्राप्त होगा।
3. ऐसे प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त दिनांक से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा किन्तु दिनांक 28.07.2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का निर्धारण काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर वेतन संरक्षण हेतु किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के प्रावधान यथावत लागू है।

प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. डॉ. निस्तर कुजूर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान दिनांक 23.08.2023 को भूखण्ड क्रय हेतु राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप : डॉ. निस्तर कुजूर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान दिनांक 23.08.2023 को भूखण्ड क्रय हेतु राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
14. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 43,91,425.00 (रुपए तीरालीस लाख इंक्यानबे हजार चार सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप: डॉ. ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला का दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 43,91,425.00 (रुपए तीरालीस लाख इंक्यानबे हजार चार सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
15. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 12,57,598.00 (रुपए बारह लाख संतावन हजार पाँच सौ अठानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप: श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग का दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 12,57,598.00 (रुपए बारह लाख संतावन हजार पाँच सौ अठानबे मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
16. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,73,680.00 (रुपए पाँच लाख तिहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/3978/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 के परिपालन में श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के दिनांक 30.09.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,73,680.00 (रुपए पाँच लाख तिहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र) का भुगतान किया जाना है।
उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
17. विभिन्न अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों का प्रतिमाह मानदेय भुगतान हेतु स्थाई स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं कुल 62 अतिथि शिक्षकों के माह अप्रैल-मई 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 16,56,900.00 (रुपए सोलह लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) एवं 64 अतिथि शिक्षकों के माह जुलाई-अगस्त 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 17,40,600.00 (रुपए सत्रह लाख चालीस हजार छः सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप : 1. कुल 62 अतिथि शिक्षकों के माह अप्रैल-मई 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 16,56,900.00 (रुपए सोलह लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) का माननीय



कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है, जिसकी कार्योत्तर एवं भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

2. कुल 64 अतिथि शिक्षकों के माह जुलाई-अगस्त 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 17,40,600.00 (रुपए सत्रह लाख चालीस हजार छः सौ मात्र) का भुगतान किया जाना है, जिसकी कार्योत्तर एवं भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
3. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों का प्रतिमाह मानदेय भुगतान के लिए स्थाई स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

18. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त को माह जुलाई-2023 के डीए की अंतर की राशि एरियर्स के भुगतान उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

- टीपः
1. छ.ग. शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, पत्र क्र. 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में महंगाई भत्ता को दिनांक 01.07.2023 से सातवें वेतनमान में 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत से बढ़ा कर 221 प्रतिशत कर दिया गया है।
 2. उक्त वित्त निर्देश को माननीय कार्यपरिषद्की बैठक दिनांक 04.08.2023 के क्रमांक-03 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरांत माह जुलाई-2023 के डीए के अंतर की राशि एरियर्स का भुगतान कुल राशि रु. 10,38,446/- (रुपए दस लाख अड़तीस हजार चार सौ छियालीस मात्र) का भुगतान कर दिया गया।
 3. उक्त आदेश को अंगीकृत कर भुगतान उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु MoU के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु Memorandum of Understanding (MoU) प्रस्तावित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और छात्रों और शिक्षकों के अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में अकादमिक उत्कृष्टता की सुविधा प्रदान करेगा। एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगा।

MoU की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :-

1. सामाजिक परिवर्तन के लिए FINTECH परियोजना में सहयोग के अवसर।
2. संयुक्त डिग्री कार्यक्रम इंजीनियरिंग में बी.एड. जैसे प्रारंभिक संयुक्त डिग्री कार्यक्रम की संभावनाएं।
3. आपसी हित के विषयों पर संयुक्त रूप से अल्पकालिक सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



20. कंसल्टेंसी रेगुलेशन के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample analysis) फीस तथा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : रसायन अध्ययनशाला स्टॉफ कौंसिल की 70वीं बैठक में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्र. 170 (कंसल्टेंसी) में उल्लेखित रूटीन टेस्टिंग के तहत संलग्नानुसार रूटिन केमिकल एनालिसिस चार्ज तथा इनसे जुड़ी हुई शर्तें (Terms & Conditions) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. वार्षिक परीक्षा 2023 में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को चेतावनी तथा संबंधित वीक्षकों को नियमानुसार परीक्षा कार्यों से आगामी वर्षों के लिए अवरुद्ध (डी-बार) करने के संबंध में विचार करना।

टीप : शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित बी.एस-सी. भाग-1 प्राणीशास्त्र प्रथम की वार्षिक परीक्षा दिनांक 11.04.2023 में सम्मिलित कु. शारदा ध्रुव, अनुक्रमांक 2325215060 की उत्तर पुस्तिका गुम गयी है।

इसकी सूचना संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा पत्र क्र. 12/2023 बलौदाबाजार, दिनांक 12.04.2023 द्वारा दी गई थी।

उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 05 की कंडिका 10(5)(IV) के अनुसार परीक्षाफल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने बैठक दिनांक - 18.05.2023 में छात्रहित में (1) कु. शारदा ध्रुव को शेष सभी प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों का औसत प्राप्तांत दिए जाने तथा (2) महाविद्यालय से इस प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुशंसा की है। परीक्षाफल समिति की अनुशंसा एवं संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण अनुसार उक्त प्रकरण पर माननीय कुलपति जी द्वारा तीन सदस्यों की समिति गठित की गई। उक्त समिति ने अपने बैठक दिनांक 04.08.2023 के कार्यवृत्त के अंतिम पैरा में छात्रा को परीक्षाफल समिति की अनुशंसानुसार अकक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किए जाने तथा प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को सावधानी एवं सजग होकर कार्य करने की चेतावनी तथा संबंधित वीक्षकों को नियमानुसार परीक्षा कार्य से आगामी वर्षों के लिए अवरुद्ध (डी-बार) कए जाने की अनुशंसा की है।

अतः शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा कार्य को सावधानी एवं सजग होकर करने तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सुनिश्चित करने एवं संबंधित वीक्षकों को परीक्षा कार्य से आगामी वर्षों के लिए अवरुद्ध (डी-बार) किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. वार्षिक परीक्षा 2023, बी.ए. भाग-3 एवं बी.एस-सी. भाग-3 (विषय-आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी) के घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में विचार करना।

टीप: वार्षिक परीक्षा 2023, बी.ए. भाग-3 एवं बी.एस-सी. भाग-3 के परिणाम घोषणा पश्चात् विषय - आधार पाठ्यक्रम में अधिकांश परीक्षार्थियों के अनुत्तीर्ण घोषित होने के प्राप्त शिकायत के आधार परीक्षाफल समिति के समक्ष रखकर अभिमत प्राप्त किया गया। अभिमतानुसार- उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा त्रुटि की गई है। अतएव छात्र हित में उत्तर-पुस्तिकाओं को विषय विशेषज्ञ से पुनः मूल्यांकित कर संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित कराए जाने की अनुशंसा की गई।

अभिमतानुसार विषय विशेषज्ञों से उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कराया गया।

तत्पश्चात् संबंधित मूल मूल्यांकनकर्ताओं पर कार्यवाही किए जाने हेतु समिति का गठन किया। समिति से प्राप्त अभिमतानुसार – मूल्यांकनकर्ता को परीक्षा कार्य से निरुद्ध (डी-बार) किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उत्तर-पुस्तिका के मूल मूल्यांकनकर्ता को परीक्षा कार्य से 03 वर्ष के लिए निरुद्ध (डी-बार) किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र D.O.No. F.1-5/2022(CBCfqw/ties) Pt.Fie के द्वारा Human Resource Development Centre का नाम परिवर्तन कर Malaviy Mission Teacher Training Centre (MMTTC) किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र D.O.No. F.1-5/2022(CBCfqw/ties) Pt.Fie के द्वारा Malaviy Mission Teacher Training Centre (MM-TTC) Portal का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 111 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। इस निर्णय द्वारा Human Resource Development Centre का नाम परिवर्तन कर Malaviy Mission Teacher Training Centre (MMTTC) किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 671/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु पत्र क्र. 670/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 प्रेषित किया गया है।

पुस्तक क्रय हेतु विश्वविद्यालय बजट में रु. 50=00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है।

पुस्तक क्रय के संबंध में उपरोक्त की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. मूल विज्ञान केंद्र के द्वितीय सेमेस्टर के 37 छात्र-छात्राओं को माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 हेतु कुल राशि रु. 6,53,267/- (रुपए छः लाख तीरपन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : मूल विज्ञान केंद्र में दिनांक 14.08.2015 को कार्यपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय क्र. 04 के अनुसार मूल विज्ञान केंद्र में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह रु. 5000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मूल विज्ञान केंद्र के द्वितीय सेमेस्टर के 37 छात्र-छात्राओं को माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 हेतु कुल राशि रु. 6,53,267/- (रुपए छः लाख तीरपन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

26. लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 12.09.2023 के अनुसार डिपॉजिट मद के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सम्पूर्ण राशि रूसा योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को राशि रु. 295.32 लाख का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।
27. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

29/09/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 762/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 21/09/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
4. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन के अध्यक्ष के अनुमति से बिंदु क्रमांक 2 को आगामी बैठक में पालन कर सूचनार्थ प्रस्तुत करने के निर्णय के साथ अन्य विषयों की सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	M.Com.-I & II Semester	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-I- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2023-24
		B.Sc.-I-Computer Sc.	45	
		B.Sc.-I- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.Com.- I- Compulsory subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	B.Sc.-III- Bio Group (F.C.-Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-III- Maths Group (F.C.-Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-III- (F.C.-Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	यशवंत राव मेघावले शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc.-III- Maths, Physics	40	2023-24
		B.A.-III- Hindi Literature	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महा. रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Chemistry	20	2023-24
		Botany	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Maths	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	स्व. रामनाथ वर्मा शास. महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा	B.Sc.-I- Botany, Zoology	90	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

3

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा. बसना, जिला- महासमुंद	PGDCA (Self Finance)	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
ix	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महा. बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़	M.Sc.-III/IV Sem. Chemistry	30	2023-24
		M.Sc.-III/IV Sem. Botany	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
x	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला-धमतरी	M.Sc.-I/II Sem. Information Technology (I.T.)	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
xi	दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर	B.A. (F.C., Sociology, Hindi Litt., Psychology, Political Sc., Economics, History (New Course))	60	2023-24
		B.Sc.- Seat extension	40	
		M.Sc. Final Year Maths	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
xii	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर, जिला-रायपुर	B.B.A. Seat extension	30	2023-24
		B.Com.- Seat extension	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
xiii	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	बी.एस.सी. बायो अंतिम वर्ष (रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	30	2023-24
		बी.एस.सी. गणित अंतिम वर्ष (भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित)	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				

04. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

05. (1) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर, (2) रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना जिला-रायपुर, (3) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनेली, माना, रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नया रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सम्बद्धता समाप्त करने की सैद्धांतिक सहमति संशोधित विनियम क्रमांक 129 के अंतर्गत प्रदान की गई। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण WPC -Case No. WPC/2229/2019 और WPC/2230/2019 को वापस लेने के पश्चात् ही उक्त संदर्भ में अग्रतर प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

06. अध्यादेशों के परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को एम.एस-सी. (आई. टी.) एवं एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन के संबंध में "बैठक दिनांक 04.08.2023 के पद क्रमांक (2) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करते हुए प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।" अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 की अनुशंसा की गई।

07. अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 904/2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा विषय समूह के निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित विषय समूह के निर्धारण हेतु विचार किया गया -

- (1) भौतिक शास्त्र, गणित, भूगोल
- (2) गणित, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र
- (3) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल
- (4) रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र

निर्णय लिया गया कि - "(1) उपरोक्त प्रस्तावित विषय समूह को विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 21 में सम्मिलित कर समाहित किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका निर्णय पद क्रमांक (4) में उल्लेखित है।"

(4) विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रस्तावित पाठ्यक्रम विषय समूह अध्यादेश क्रमांक 197 एवं विनियम क्रमांक 201 से संचालित है, दोनों में विषय समूहों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विषय समूह को समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

5

08. बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की गई -

(26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.

(27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application

09. भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III-खण्ड 4 प्राधिकारी से प्रकाशित सं. 271, नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिसूचना नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018 (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को विश्वविद्यालय परिनियम 28 में समाहित किए जाने हेतु अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अंगीकृत करते हुए परिनियम 28 में समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

10. चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-48/2023/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनशंसा किया गया :-

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	115	35	150
2.	एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	30	20	50
3.	एम.ए. इतिहास	शासन से	30	20	50
4.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मद	60	15	75

11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एवं प्रचलित Question Paper Pattern के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 685 /परीक्षा/2023 रायपुर दिनांक 11/05/2023 द्वारा गठित परीक्षा प्रकरण निवारण समिति

(Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

- प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा।
- प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
- सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
- खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णांक 80 एवं 100 के आधार पर निम्नानुसार होगा:-
पूर्णांक 80 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤ 100 शब्द)	B	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥ 350 शब्द)	C	4 अथवा 5	10 अथवा 8	40
कुल अंक				80

पूर्णांक 100 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤ 100 शब्द)	B	4 अथवा 5	7.5 अथवा 6	30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥ 350 शब्द)	C	4 अथवा 5	12.5 अथवा 10	50
कुल अंक				100

उक्त अनुशंसित Question Paper Pattern सत्र 2023-24 से उपयुक्त सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त की अनुशंसा की गई।

12. एक ही शिक्षा सत्र में एक साथ दो डिग्री या एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होकर अर्जित किए गए डिग्री/डिप्लोमा के आधार पर छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) के Part-V General Conditions applicable to all Students अंतर्गत कंडिका (16) के प्रथम एवं द्वितीय पैरा के अनुसार प्रवेश की पात्रता नहीं होने की अनुशंसा की गई।

13. पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा की गई।


14. स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में।


निर्णय: स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।

15. डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् नवीन शीर्षक के साथ पुनः डी.लिट. पंजीयन हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश 46 (Doctor of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट. उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 763 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21 / 09 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

एजेंडा:

कंसल्टेंसी रेगुलेशन के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस एवं नियम व शर्तों की सक्षम स्वीकृति ।

टीप:

स्टाफ कौंसिल रसायन अध्ययनशाला की 70 वीं बैठक (दिनांक 13 जुलाई 2023) में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्रमांक 170 (कंसल्टेंसी) में उल्लेखित रूटीन टेस्टिंग प्रोजेक्ट: कंडिका नं. 4 के तहत निम्नानुसार रूटीन केमिकल एनालिसिस चार्ज तथा इनसे जुड़ी हुई शर्तें (Terms and Conditions) को सर्वसम्मति से पारित कर सक्षम स्वीकृति हेतु निम्नानुसार निर्मित (formulate) की गई है.

Decision of staff council

Under the University Consultancy Regulations, the Staff Council, on its meeting on 70th meeting on 13 July 2023 unanimously agreed to revise the chemical analysis/routine testing charges for samples and associated terms and conditions under the research consultancy regulation 170 and also decided to submit the same revised proposal to the University for Approval.

As per the provision of ordinance of the university, staff council has proposed consultancy for the analysis of intra-institutional, inter-institutional and outdoor (Industries etc.) samples. Revised Fees structure and associated terms and conditions for the consultancy has also been proposed on the basis of requirement of consumables and cost of the instrumental specifications. The consultancy will be provided under following terms and condition.

Terms & Conditions:

1. GST as per G.O.I rates applicable from time to time.
2. Any test not mentioned here may also be taken up on request and the fee will be decided by faculty incharge.
3. The tests are conducted as per prevailing standard.
4. The job is taken up subject to availability of chemicals, manpower and equipment in working condition.
5. The test results are not certified to be used for legal purposes.
6. The rates are subject to change from time to time.
7. The fees should be deposited in advance by online transaction or Demand Draft drawn in favour of Head, School of Studies in Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur or by cash deposit to office of Head, SoS in chemistry
8. Clients / Party may also contact for any specific tests and analysis, not included in the list.

Internal Terms and Conditions:

The earned consultancy fees will be distributed as follows (As per regulation 170):

1. 20% amount will be deposited to university.
2. 10% amount will be deposited in departmental account.
3. 50% amount will be given to Principal investigator(s)/Scientist(s).
4. 15% amount will be utilized by Analyst/Project fellow(s).
5. 5% amount will be paid to staff clerk.

S. No.	Sample/Analysis	Description of Job	Client Type	Total Charge (Rs.)	Remark			
1.	Elemental Analysis (Per element) By AAS*	Flame Based	Industry	500	* In case of multiple elements/ samples charges will be 1000/- (up to 05 elements)			
			Educational Institute/Research Institute	250				
		Graphite furnace	Industry	750				
			Educational Institute/Research Institute	250				
		Cold Vapor/Vapor based analysis for As and Hg	Industry	750				
			Educational Institute/Research Institute	300				
2.	Ionic Component Analysis By Ion Chromatography	Per Anion **	Industry	1000	** In case of multiple anions/sample- Rs1000 (upto 7 anions) ***In case of multiple cations/sample- Rs-1000(upto 6 anions) **** In case of multiple Metal ions/sample- 1500 up to 8 metal ions)			
			Educational Institute/Research Institute	250				
		Per Cation ***	Industry	1000				
			Educational Institute/Research Institute	250				
		Metal Ions by VWD detector ****	Industry	1000				
			Educational Institute/Research Institute	250				
		Carbohydrates/Amino Acids/organics by ECD detector	Industry	1000				
			Educational Institute/Research Institute	350				
		Extraction process for ions/organics from samples/sample	Industry	1000				
			Educational Institute/Research Institute	750				
		3.	Organic Analysis (Per Sample)#	TD-GC-MS		Industry	2000	# Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in GC-MS, Standards will be counted as individual samples.
						Educational Institute/Research Institute	1000	
TD-GC-FID	Industry			2000				
	Educational Institute/Research Institute			1000				
TD-GC-ECD	Industry			2000				
	Educational Institute/Research Institute			1200				
Extraction	Industry			1500				
	Educational Institute/Research Institute			1000				
4.	Organic carbon and Elemental carbon analysis by OC/EC Analyser			For OC and EC only/ sample	Industry	2000	In case of including carbonate carbon along with OC and EC, price will Rs 1200/-	
					Educational Institute/Research Institute	750		

5.	CHSN,O Analysis	Per Sample	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	750	
6.	FT-IR Analysis (Per Sample)	Graph/scanning	Industry	1200	
			Educational Institute/Research Institute	300	
		Sample treatment + Scanning	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	500	
7.	Fluorescence (Per Sample)	Scanning	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	200	
8.	UV-Visible Spectroscopic Analysis	Scanning	Industry	500	
			Educational Institute/Research Institute	100	
		Sample treatment + Scanning	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	400	
9.	Tensiometry (Per sample)	Surface Tension measurement	Industry	800	
			Educational Institute/Research Institute	200	
10.	Electrochemistry	Cyclic voltametry	Industry	2500	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
11.	Microwave Digester/Sample	Sample Digestion	Industry	850	
			Educational Institute/Research Institute	400	
12.	Scanning Electron Microscope/ Sample	Per sample	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	750	
13.	HPLC/ Sample	Scan per sample	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	750	
14.	Zeta Sizer/sample ##	Per sample	Industry	1000	##Price for size- Rs-250. For Zeta potential price is Rs 300 & For both : Rs 500/-
			Educational Institute/Research Institute	250	

Other Testing charges:

S. No.	Sample/Analysis	Description of Job	Client Type	Total Charge (Rs.)	Remark
15.	Air (Per Sample)	Gravimetric analysis for PM ₁₀ (per Filter paper)	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	250	
		Gravimetric analysis for PM _{2.5} (per Filter paper)	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	250	
		Gravimetric analysis for PM ₁ (per Filter paper)	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	250	
		Gravimetric analysis for PM ₁₀ , PM _{2.5} & PM ₁ (per Filter paper)	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	650	
		VOCs sampling via Tenax Tube (Per Tube)	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	250	
		BTEX Analyser	Industry	500	
			Educational Institute/Research Institute	250	
16.	Effluent Water (Per Sample)	BOD Biological Oxygen Demand	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
		COD Chemical Oxygen Demand	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	750	
		TOC Total Organic Carbon	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	750	
17.	Water	pH, Total Solids, Turbidity, Alkalinity, Hardness, Calcium, Magnesium, Sulphate, Chloride & Iron	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	750	
		pH, Total Solids, Turbidity, Alkalinity, Hardness, Calcium, Magnesium, Sulphate, Chloride, Iron, Sodium, Potassium, Manganese and Zinc	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
		Iron only	Industry	650	
			Educational Institute/Research Institute	200	
		pH/Conductivity- each	Industry	500	

			Educational Institute/Research Institute	150	
18.	Food (Per Sample)	Estimation of Total Fe content in Food Samples	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Estimation of Total Fats content in Food Samples	Industry	2100	
			Educational Institute/Research Institute	700	
		Carbohydrate Content in Food Samples	Industry	2500	
			Educational Institute/Research Institute	700	
		Protein Content in Food Samples	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
		Estimation of Total Zn content in Food Samples	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	750	
		Estimation of Total Ca content in Food Samples	Industry	3000	
			Educational Institute/Research Institute	800	
		Estimation of Total Mn content in Food Samples	Industry	3000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
Estimation of Total Fe, Zn, Ca and Mn content in Food Samples	Industry	4000			
	Educational Institute/Research Institute	2000			
19.	Tea (Per Sample)	Moisture, ash, alkalinity of ash and ash insoluble in acid	Industry	4000	
			Educational Institute/Research Institute	2000	
20.	Fertilizers	Sulphate of Ammonia for Nitrogen only	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Urea for Nitrogen only	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Super-Phosphate for P ₂ O ₅	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Muriate of Potash for K ₂ O	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Mixed Fertilizer for NPK	Industry	3000	
			Educational Institute/Research Institute	1500	
Zinc Sulphate	Industry	2000			

			Educational Institute/Research Institute	1000	
		Each Additional Element	Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	
		Phosphate only	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
21.	Clay, Ash, Minerals like Limestone, Dolomite, Rock, Metallic minerals, Refractory Materials and Iron Ore	Chemical Analysis for the constituents- LOI, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Industry	3000	
			Educational Institute/Research Institute	1950	
		Each Additional Components like IR, SO ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, Chloride, etc.	Industry	1500	
			Educational Institute/Research Institute	700	
		Phosphate	Industry	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	
22.	Research Consultancy for interpretation of data generated by the instrument(s)		Industry	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।